बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या :– 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95 / 2019...11089

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद,अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :– 27-10-2020

विषय :– सरकारी / लोक भूमि की सूची तैयार करने एवं जिला बंदोबस्त कार्यालय / संबंधित शिविर के विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– निदेशालय का पत्र संख्या– 17–सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग– 95 / 2019– 716 दिनांक– 08.05.2019, पत्र संख्या–17– सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग– 95 / 2019 1315 दिनांक 05.08.2019 एवं पत्र संख्या–17– वि0 सर्वेक्षण (नोडल पदा0)– 101 / 2019 408 दिनांक 28.02.2020 का कंडिका–7

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा दिये गये निदेशों का कृपया स्मरण किया जाय। इस क्रम में संसूचित किया गया है कि जिला के बन्दोबस्त कार्यालयों को अंचलाधिकारी एवं अन्य केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों / उपक्रमों / बोर्डो द्वारा सरकारी / लोक भूमि की सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। राजस्व विभाग के विभिन्न पत्रों द्वारा सरकारी / लोक भूमि के संरक्षण एवं अतिक्रमण मुक्त करने हेतु निदेश दिये गये है। साथ ही सरकारी भूमि की विवरणी जिला, अनुमंडल, अंचल एवं हल्कावार पंजी में संधारित रखने के संबंध में भी पूर्व में निदेश निर्गत किये गये है।

आपके जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ है। इस आलोक में सरकारी / लोक भूमि के संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण शिविर को उक्त भूमि की विवरणी उपलब्ध रहे ताकि खानापुरी एवं प्रारूप प्रकाशन के समय से ही सरकारी भूमि की पहचान सुनिश्चित रह सके।

उक्त के आलोक में पुनः अनुरोध है कि –

(1) अंचलाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि सरकारी / लोक भूमि की विवरणी विहित प्रपत्र में अविलंब तैयार कर ले। विहित प्रपत्र का प्रारूप पत्र के निम्न भाग में दिया जा रहा है।

(2) सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि वे उक्त प्रपत्र में तैयार सरकारी / लोक भूमि की विवरणी संबंधित विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराये।

(3) अपने क्षेत्र अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों / उपक्रमों / बोर्डो के पदाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि वे अपने स्तर से अपने क्षेत्राधिकार की सरकारी भूमि की विवरणी तैयार कर जिला बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के नियम–3(1) एवं नियम–4(1) के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों सहित भूमि के भू–स्वामियों / हित रखने वालों को अधिसूचना एवं अधिघोषणा अंतर्गत संसूचित किया जाना आवश्यक है।

(4) सभी अंचलाधिकारियों / केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों / उपक्रमों / बोर्डो के नोडल पदाधिकारियों से इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय कि उनके द्वारा सभी सरकारी / लोक भूमि की विवरणी उपलब्ध करा दी गई है और इसके अतिरिक्त कोई सरकारी भूमि / लोक भूमि उनके अधिकार क्षेत्र अंतर्गत नहीं है।

(5) सरकारी भूमि के संरक्षण एवं अनुरक्षण के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक– 247 दिनांक– 20.03.2020 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना भी सुनिश्चित किया जाय।

कृ0पृ0उ0

(6) विहित प्रपत्र निम्न प्रकार हैः–

प्रपत्र

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान/स्थानीय निकाय की भूमि की विवरणी।

जिला का नामः–
विभागीय कार्यालय/संस्थान का नाम :–

क्र0 सं0	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम का नाम (जहाँ भूमि अवस्थित है)	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा	भूमि पर दावा का आधार (दान/भू–अर्जन/अंतरण/अन्य)	अभ्युक्ति

नोटः– प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरणी में अंकित सरकारी/लोक भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य भूमि हमारे क्षेत्रांतर्गत/विभाग अंतर्गत नहीं है।

हस्ताक्षर
अंचलाधिकारी/संबंधित विभाग के नोडल पदाधिकारी

(7) साथ ही निदेश है कि प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को निम्न प्रपत्र में जिन सरकारी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो से भूमि की विवरणी प्राप्त हो जाये, उसके प्राप्त होने अथवा अप्राप्त होने का प्रतिवेदन निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप को उनके ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करायेंगेः–

सरकारी भूमि की विवरणी प्राप्त करने के संबंध में अनुश्रवण हेतु प्रपत्र।

जिला का नाम / विभाग/उपक्रम/बोर्ड का नाम		
	प्राप्त	अप्राप्त

(8) जिला पदाधिकारी जिले में पदस्थापित केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो के पदाधिकारियों में से प्रत्येक विभाग हेतु अलग–अलग किसी पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में घोषित करेंगे, जो जिला बन्दोबस्त कार्यालय/संबंधित विशेष सर्वेक्षण शिविर के सतत् संपर्क में रह कर सरकार का हित अक्षुण्ण रखेंगे।

विश्वासभाजन

(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019.11089 **पटना, दिनांक** :–27-10-2020

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त (सारण प्रमंडल को छोड़कर) को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019.11089 **पटना, दिनांक** :–27-10-2020

प्रतिलिपि :– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिलों के लिए प्राधिकृत सभी वरीय नोडल पदाधिकारी/निदेशालय के स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत सभी नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95 / 2019 11089 **पटना, दिनांक** :– 27-10-2020

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग